कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री भटनागर कान्सट्रक्शन, चॉदपुर, बिजनौर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**041 / 09, 13.04.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री भटनागर कान्सट्रक्शन, चॉदपुर, बिजनौर द्वारा दिनांक 13.04.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' बिटुमेन (तारकोल) पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में '' स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 20.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-884, दिनांक 23.06.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि माननीय व्यापार कर अधिकरण, मुजफ्फरनगर की युगल पीठ द्वारा सर्वश्री वालेचा इंजीनियरिंग लि0, सूरज विहार, मुजफ्फरनगर के मामले में द्वितीय अपील संख्या-449 / 2006 में पारित निर्णय के आलोक में बिटुमेन पर प्रवेश कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण अत्यन्त पुराना है। प्रार्थी फर्म के वित्तीय वर्ष 2009-10 के वाद के निस्तारण एवं बिटुमेन पर प्रवेश कर निर्धारण की स्थिति के सम्बन्ध में आख्या मॉगे जाने पर एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-249, दिनांक 09.05.2014 से प्रेषित आख्या में अवगत कराया है कि फर्म के वित्तीय वर्ष 2009-10 के वाद का निस्तारण डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, चॉदपुर द्वारा दिनांक 30.04.2013 को किया गया है जिसमें बिटुमेन पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया है। यह भी अवगत कराया है कि बिटुमेन पर शासन की विज्ञप्ति संख्या-188, दिनांक 12.02.2014 से प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी है। अत: इसके पूर्व प्रवेश कर की देयता न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण में बिटुमेन पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया है।

उक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2009 को वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए बिटुमेन पर प्रवेश कर की देयता पूछी गयी थी। वर्तमान में प्रार्थी के वित्तीय वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। कर निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात, करदेयता का बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से विनिश्चित हो चुका है। अत: इस बिन्दु पर निर्णय का औचित्य नहीं है।

....2

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तुत किया गया है जबकि वर्तमान समय में वित्तीय वर्ष 2009-10 का प्रवेश कर का कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। अत: प्रासंगिकता न होने के कारण, प्रश्न का उत्तर दिये जाने का औचित्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 मई, 2014

ह0 / 22.05.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।